न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) भादरा, जिला हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी :–श्री भागीरथ राम आर.ए.एस.

प्र0न0 – 57/2025

उनवान : –

1. बद्रीप्रसाद पुत्र हरलाल जाति माली निवासी गणेशपुराबास तहसील भादरा।

–प्रार्थी

बनाम्

1 राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व भादरा।

–अप्रार्थी

प्रार्थनापत्र रिकॉर्डदुरूस्ती
अन्तर्गत धारा 136 लैण्डरैवेन्यू एक्ट
उपस्थिति :–श्री पवन कुमार सिहाग प्रार्थी
राजपैरोकार अप्रार्थी

निर्णय दिनांकः 22.12.2025

संक्षेप में प्रार्थना के तथ्य इस प्रकार है कि रोही मौजा चक 8 बारानी के खात्ता सं. 126/0 के मु० नं0 190/1 के किला नं. 0 की 0.9740 हैक्टर, मु०नं0 192/1 के किला नं. 0 की 0.8860 हैक्टर, मु०नं० 193/2 के किला नं. 0 की 0.1040 हैक्टर कुल खसरा तीन की 1.9640 हैक्टर बारानी खातेदारी कृषि भूमि राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है। नकल जमाबन्दी संलग्न है। चक 8 बारानी के खसरा सं. 193/2 के रकबा 0.104 हैक्टर की कृषि भूमि पूर्व में ऑफलाइन नक्शा में मु०नं0 91 के किला नं. 14 में सडक से चिपते हुए सडक के पश्चिमी दिशा में दर्ज थी परन्तु तहसील ऑनलाइन करते समय वन टू वन मैपिंग के दौरान उपर वर्णित खसरा सं. 193/2 के रकबा 0.104 हैक्टर को ऑनलाइन भू–नक्शा में गलत व विपरीत दिशा में दर्शा दिया गया जो गलत व अशुद्ध अंकन है जिसको सही करवाये जाने का निवेदन है।

प्रार्थी के ऑनलाइन भू–नक्शा में ग़लत व विपरीत अंकन होने के कारण प्रार्थी अपनी खातेदारी भूमि का सही प्रकार से उपयोग–उपभोग नहीं कर पा रहा है। अतः प्रार्थी राजस्व रिकार्ड में उक्त साकिन की शुद्दि करवा पाने के कानूनी अधिकारी है।

प्रार्थना पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जरिये सम्मन तलब किया गया। सम्मन तामिल होने के बाद राजपैराकार तहसीलदार भादरा ने अपना जवाब पेश किया।

बहस वकील प्रार्थी सुनी गई। दौराने बहस वकील प्रार्थी ने कथन किया कि रोही मौजा चक 8 बारानी के खसरा नं. सं. 193/2 के र[illegible]04 हैक्टर की कृषि भूमि को भू–नक्शा पर गलत जगह पर दर्शाई हुऐ को पूर्व में ऑ[illegible]इन [illegible]क्शा में मु० नं0 91 के किला नं. 14 में सडक से चिपते हुए सडक के पश्चिमी दिशा में दर्ज हुई थी, के अनुसार. ऑनलाइन भू–नक्शा पर सही दर्शाई जाकर तदानुसार राजस्व रिकॉर्ड दुरूस्त किये जाने का आदेश सादिर फरमाया जावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhagirath Ram
Date: 2026.05.07 11:37:28 IST
Reason: SelfAttested

हमारे द्वारा अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत सभी दस्तावेजात तथा तहसीलदार भादरा से प्राप्त रिपोर्ट के मुताबिक प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार योग्य होने के कारण स्वीकार किया जाता है।

उपखण्डाधिकारी (राजस्व)
भादरा (जिला-हनुमानगढ़)

बद्री प्रसाद बनाम सरकार

अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एलआरएक्ट स्वीकार किया जाकर हसीलदार भादरा को आदेशित किया जाता है कि वे रोही मौजा चक 8 वारानी के खसरा नं. . 193/2 के रकबा 0.104 हैक्टर की कृषि भूमि को भू–नक्शा पर गलत जगह पर दर्शाई ुऐ को पूर्व में ऑफलाइन नक्शा में मु० नं0 91 के किला नं. 14 में सडक से चिपते हुए सडक े पश्चिमी दिशा में दर्शाई हुई थी, के अनुसार ऑनलाइन भू–नक्शा पर सही दर्शाई जाकर ाजस्व रिकॉर्ड में मुताबिक नक्शा सही अंकन किया जावें एवं यदि कृषि भूमि बैंक रहन हो तो हन मुक्त होने के उपरान्त ही उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावें।

निर्णय आज दिनांक 22.12.2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में ुनाया गया।

(भागीरथ राम)
उपखण्डाधिकारी (राजस्व) R.A.S
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
भादरा जिला हनुमानगढ़

Signature Not Verified

Digitally signed by Bhagirath Ram
Date: 2026.05.07 11:37:28 IST
Reason: SelfAttested